




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

65 ~~24~~ / ITell
शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
21/01/16
Education, Culture and Development



Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फॅक्स: 91(0172)2560253
e-mail: edusecondarvhrv@gmail.com - site: www.schooleducationharvana.gov.in

Order No. 22/9-2015 HRG-I (1)

Dated, Panchkula the 18.01.2016

Sanction is hereby accorded under Rule 9.19(A) read with Rule 15.1(54) of CSR Vol-I, Part-I for the condonation of compulsory waiting period in respect of Smt. Renu Bala, Principal, G.S.S.S., Barwala (Panchkula) from 15.01.2015 to 02.02.2015 to treat it as duty period for all intents and purposes.

M.L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

ENDST.NO.EVEN

DATED, PANCHKULA, THE 19/1/16

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. The District Education Officer, Panchkula.
3. Smt. Renu Bala, Principal, G.S.S.S., Barwala (Panchkula).
4. Treasury officer concerned.
5. Technology officer (H.Q).

Sh
20/1/16
Pragyan (varun)

Varun
ASSISTANT DIRECTOR HRG-I
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA
a

66 IT Cell
21/01/16

OFFICE OF THE DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA

Order No. 25/69-2015 HRG-II (4) Dated, Panchkula the 18.01.2016


In terms of Haryana Govt. notification dated 26.04.2011, permission is hereby granted to re-employment **Sh. Sudhir Singh, Headmaster, GHS Hindwan Distt. Hisar** with immediate effect to the end of academic session i.e. upto 31.03.2016 or till the department is able to fill the post on regular basis. **He** will be paid salary as per provisions of CSR Vol-II i.e. last pay drawn minus pension. **He** will also exercise Drawing and Disbursing powers of the School.

M.L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even Dated, Panchkula the 19-1-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. The District Education Officer, **Hisar** w.r.t. to his Memo No. **E-V/15/2128** dated **21.12.2015**.
3. The Treasury Officer, **Hisar**.
4. **Headmaster GHS Hindwan Distt. Hisar**.
5. **Sh. Sudhir Singh, Headmaster, GHS Hindwan Distt. Hisar**.
6. The Technology Officer, I.T. Cell.


SUPERINTENDENT, HRG-II
FOR DIRECTOR, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA PANCHKULA

to



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER NO. 2/724-15 HRL (3)

DATED, PANCHKULA: 18/01/2016

Consequent upon repatriation by State Project Director, SSA Haryana, Panchkula, the following official(s) is hereby transferred / adjusted as Lecturer in the schools mentioned against their names with immediate effect.

Sr. No.	Transfer Id	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted to	Remarks
1	73510	Sh. Jaswant Singh Lecturer in Biology Employee ID: 000228	repatriation from O/o DPC Ambala, Distt. Ambala [5523]	GSSS Korwa Khurd, Distt. Ambala [3990]	Against vacancy

Note :-

- 1 The official will be relieved immediately and in any case with in 7 days failing which he/she will be liable for disciplinary action.
- 2 If any discrepancy is noticed in this order or there is violation of transfer policy/rationalization policy it should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days.

M.L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 2/724-15 HRL (3)

DATED, PANCHKULA, 19-1-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1 State Project Director, SSA, Haryana Panchkula.
- 2 District Project Co-ordinator cum District Elementary Education officers concerned.
- 3 District Education Officer/ District Elementary Education Officer concerned.
- 4 Block Education Officer cum BRC concerned.
- 5 Head of the institution concerned.
- 6 Official concerned.
- 7 Secy. OSD/CM.
- 8 Sr. PS/E.M.
- 9 PS/DSE.
- ✓ 10 Technology Officer(HQ).

DEPUTY DIRECTOR HRL
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

68 IT 64
२१/०१/१६

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
भिवानी

यादी क्रमांक 4/14-2016 एच0आर0एल0-II (2)
दिनांक पंचकूला।

विषय:- अतिथि प्राध्यापकों के समायोजन बारे।

.....
विषयांकित मामले में निम्नानुसार अतिथि प्राध्यापक को वर्कलोड एवं मांग/नियम अनुसार समायोजित करने की सिफारिश की जाती है।

क्र0 न0	कर्मचारी का नाम व पद	जहां से विस्थापित किया गया।	जहां समायोजित किया गया।	कार्यालय कथन
1.	Sh. Varun Kumar, Guest Lecturer English	GSSS Budhera (Bhiwani) [0468]	GSSS Roopgarh (Bhiwani)[472]	Due to non availability of work load.

Sd.
उप-अधीक्षक एच0आर0एल0-II
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक: सम

दिनांक पंचकूला। 19-1-2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक तम शाखा।
- ✓ 2. Technology Officer (I.T. Cell)

Sd.
उप-अधीक्षक एच0आर0एल0-II
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश क्रमांक 5/11-2008 एच0आर0एम0ई0 (1)/2549

दिनांक पंचकुला:-

1. इसके द्वारा श्री हरीश सहगल, लिपिक [26217], रा0उ0वि0 बांसा, करनाल [1979] को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोप के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम-7 के अर्न्तगत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे सम्बद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्री हरीश सहगल, लिपिक से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। वे कोई स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री हरीश सहगल, लिपिक को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें केवल वही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी पूरी तरह से सुसंगत नहीं हैं, सरकार की राय में उन्हें दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री हरीश सहगल, लिपिक ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी है। फिर भी श्री हरीश सहगल, लिपिक को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया गया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(१०९२० मान)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का० निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।
82

Regd.

श्री हरीश सहगल, लिपिक [26217],
रा०उ०वि० बांसा, करनाल [1979]

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:- 20-1-16

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, करनाल।
2. मुख्याध्यापक, रा०उ०वि० बांसा, करनाल।
3. तकनीकी अधिकारी, आई०टी०सैल०।

अधीक्षक एच०आर०एम०ई०
कृते: निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

आरोप सूची विरुद्ध—श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल।

—0—

श्री हरीश सहगल ने रा0उ0वि0 बांसा, करनाल में लिपिक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:—

1. यह कि श्री हरीश सहगल को दिनांक -09.04.2010 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 5/11-2008 एच0आर.एम.ई. 1/1907 दिनांक 8.4.2010 द्वारा नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट किया गया तथा निजी सुनवाई का मौका देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए तथा निदेशालय द्वारा दिनांक 17.10.2014 अनुसार इनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचित प्रभाव से रोक दी गई ।
2. यह कि श्री हरीश सहगल, लिपिक उक्त सजा देने के बावजूद भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए एवं बिना सूचना के स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कार्यालय में नहीं आना चाहता है, जिससे उनके द्वारा गैर जिम्मेवार व्यवहार दिखाई देता है।

उपरोक्त अनियमितताएं श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं। ऐसा करके उन्होंने कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 की धारा 3 की उल्लंघन की है और अपने आप को कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है जिसके लिए वह जिम्मेवार है और स्वैच्छा से विभागीय सूचना के अनुपस्थित चल रहा है।

**अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक स्कूल शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।**

81

अभियोग सूची विरुद्ध—श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल।

—0—

श्री हरीश सहगल ने रा0उ0वि0 बांसा, करनाल में लिपिक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:—

1. यह कि श्री हरीश सहगल को दिनांक 09.04.2010 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 5/11-2008 एच0.आर.एम.ई. 1/1907 दिनांक 8.4.2010 द्वारा नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट किया गया तथा निजी सुनवाई का मौका देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए तथा निदेशालय द्वारा दिनांक 17.10.2014 अनुसार इनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचित प्रभाव से रोक दी गई।
2. यह कि श्री हरीश सहगल, लिपिक उक्त सजा देने के बावजूद भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए एवं बिना सूचना के स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहा है जिससे उनके द्वारा गैर जिम्मेवार व्यवहार दिखाई देता है।

उपरोक्त अनियमितताएं श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं। ऐसा करके उन्होंने कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 की धारा 3 की उल्लंघन की है और अपने आप को कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है जिसके लिए वह जिम्मेवार है और स्वेच्छा से विभागीय सूचना के अनुपस्थित चल रहा है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक स्कूल शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

81

अभियोग सूची विरुद्ध— श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल।

—0—

श्री हरीश सहगल ने दिनांक 9.4.10 से अब तक रा0उ0वि0 बांसा, करनाल में लिपिक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-

1. यह कि श्री हरीश सहगल, लिपिक को दिनांक 1.11.06 से 28.2.07 तक अनुपस्थित रहने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 5/11-2008 एच0आर.एम.ई. 1/1907 दिनांक 8.4.2010 द्वारा नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी करते हुए इसका जवाब 15 दिन में देने हेतु लिखा गया था जिसके अनुसार मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 बांसा ने अपने पत्रांक 206 दिनांक 15.4.2010 को चार्जशीट का उत्तर देने बारे पत्र रिसीव करवाया गया परन्तु उनका उस द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। पुनः मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 बांसा अपने पत्रांक दिनांक 4.11.10 को चार्जशीट का उत्तर देने बारे पत्र लिखा गया इसके बाद निदेशालय द्वारा दिनांक 17.5.12 को इस चार्जशीट का जवाब देने हेतु स्मरण पत्र भी दिया गया परन्तु उन द्वारा इसका जवाब नहीं दिया गया। जो कि आपके स्तर पर घोर कोताही है।
2. यह कि श्री हरीश सहगल लिपिक द्वारा उक्त चार्जशीट का उत्तर न देकर पुनः दिनांक 9.4.2010 से दिसम्बर 2013 तक बिना सूचना के स्वैच्छा से बिना वेतन अनुपस्थित चल रहे हैं जिससे उन द्वारा गैर जिम्मेवार व्यवहार दिखाई देता है।

उपरोक्त अनियमितताएं श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल के गम्भीर कदाचार को व्यक्त करती हैं। ऐसा करके उसने कर्मचारी आचरण नियमावली, 1966 की धारा 3 की उल्लंघन किया है और अपने आप को कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक स्कूल शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रिकार्ड/ गवाहों की सूची विरूद्ध—श्री हरीश सहगल लिपिक, रा0उ0वि0 बांसा, करनाल।

रिकार्ड की सूची—

1. हाजरी रजिस्टर (मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 बांसा दिनांक अक्तूबर 2014 से अगस्त 2015)

गवाहों की सूची—

1. मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 बांसा।

~~अतिरिक्त निर्देशक प्रशासन
का0 निर्देशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला~~